

कार्यालय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर

E-mail :- ddalwar.wcd@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- उनिमबावि/अल/संस्था/2025/ 4114

दिनांक :- 29.08.2025

विज्ञापित संख्या 01/2025-26

अलवर जिले की निम्नलिखित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वेच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों पर चयन हेतु सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालयों में आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों हेतु पदवार आंगनवाड़ी केन्द्रों के नाम :-

1	अलवर शहर :- ICDS.ALWARCHITY@RAJASTHAN.GOV.IN कार्यकर्ता :- फेमिली लाइन-1 (वार्ड नं. 59), श्योपुरा (SC) (वार्ड नं. 15), शिवाजी पार्क-4 (वार्ड नं. 62, 63, 64), जत्ती की बगीची (वार्ड नं. 16), सामोला-2 (वार्ड नं. 38) (MI), अंडोला वाला कुआं (वार्ड नं. 50), सहायिका :- साघ वाला कुआं (वार्ड नं. 8, 7), नंगली कोला-1 (वार्ड नं. 48), शाहजी का बास (वार्ड नं. 28), शिकारी बास (वार्ड नं. 01)
2	लक्ष्मणगढ़ ICDS.LAXMANGARH@RAJASTHAN.GOV.IN कार्यकर्ता :- जमालपुर (MI) सहायिका :- टोडानगर-1 (ST), बडौली (MI), बूटोली (MI)
3	गोविन्दगढ़ ICDS.LAXMANGARH@RAJASTHAN.GOV.IN कार्यकर्ता :- प्लानखेडा (MI), सिरमौर-1, बारोली (MI) सहायिका :- चिडवाई-1
4	राजगढ़ ICDS.RAJGARH@RAJASTHAN.GOV.IN कार्यकर्ता :- खोह-1, गोवर्धनपुरा-1 सहायिका :- नीमला-1 (SC), डांगरवाडा, गोवर्धनपुरा-2 (SC)
5	रामगढ़ ICDS.RAMGARH@RAJASTHAN.GOV.IN कार्यकर्ता :- मुबारिकपुर-04, खेडी-01, बहाला-02 (SC), बाम्बोली-01, रामगढ़ 01 (वार्ड नं. 13, 14, 15) (SC), रामगढ़ 06 (वार्ड नं. 01, 02), अलावलपुर सहायिका :- बगडमेव-01 (MI), बगडमेव-02 (MI), गोलेटा (MI), कारोली जागीर (MI), कलसावडा (MI), खरखडी (MI), पाटनमान (MI), ओदाका (MI), ईसन का बास (MI), अलावडा-1, अलावलपुर, दोहली-02 (SC), केसरोली-02, चोरोटी पहाड-02
6	रैणी ICDS.RENNI@RAJASTHAN.GOV.IN कार्यकर्ता :- माचाडी-4, उजाड का बास सहायिका :- मानाका (ST), रैणी-1
7	थानागाजी ICDS.THANAGAJEE@RAJASTHAN.GOV.IN कार्यकर्ता :- बल्लूबास, गुवाडा सोती (ST) सहायिका :- आगर-2, नैडोली (ST)
8	उमरैण ICDS.UMRAIN@RAJASTHAN.GOV.IN कार्यकर्ता :- बेलाका (SC) सहायिका :- रिसाला का बास (SC), सावडी का बास (MI), दिल्ली वाली ढाणी (SC), भुल्ला का बास (MI), बाला डेहरा
9	मालाखेडा CDPOMALAKHERA.WCD@RAJASTHAN.GOV.IN कार्यकर्ता :- पृथ्वीपुरा-2, मालाखेडा-6 (वार्ड नं. 9, 10) सहायिका :- निठारी-1, मोरेडा (MI), बालेटा-3, हल्दीना-1, कल्याणपुरा (MI), सुमेल-1, मालाखेडा-1 (वार्ड नं. 13, 14), मालाखेडा-4 (वार्ड नं. 4, 6), कोठारी का बास (वार्ड नं. 11) (ST)
10	कठुमर ICDS.KATHUMAR@RAJASTHAN.GOV.IN कार्यकर्ता :- अरूवा-1, सौख-1, टिटपुरी-1 (MI), रिझबास, सिटहहेडा-2 (SC), नांगलरूपा-1, सौख-2, खेरली वार्ड नं 7, रामगढ़, मूडीया, सौखरी-1 (SC) सहायिका :- रामगढ़, मसारी-4, इन्द्रावली, नाहरखोहरा-1, टिटपुरी-2 (SC), मानखेडा, हनीपुर, सौखरी-1 (SC), दातिया-3 (SC), बाडला, इन्द्रा कॉलोनी (SC), गारू-4, डोरोली-2, बीजला, टीकरी, नंगलाकुट्टीन (SC), कुट्टीन मंशादारा (SC), धीवडी, जोधपुरा, ढाणीखो, चैनपुरा, दुघाटी, खातीपुरा (ST), गुगरीय का बास (ST), नंगला बास गुमान, भट्टबास (SC), नंगला खुबा, जहाडू-2 (SC), मीना का बास (ST), मालीढाणी, जाटव ढाणी (SC), खेरली वार्ड नं 10, ईसरौता, ईसरौती, खेरली तर्फ रैला, दारौदा-2, जोंगरू, नाटोज-1 (SC), सौखरी-3 (SC), उदयपुरा (ST)

चयन हेतु वांछित पात्रता एवं शर्त :-

- ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आंगनवाड़ी केन्द्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा महिला को सपुराल व मायके दोनों स्थान के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।



- विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा। तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय से जारी आदेश/डिक्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जाये।
- आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किए जाने से संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण है एवं आंगनबाड़ी मानदेयकर्मी के पद पर आवेदन हेतु विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनों पात्र होगी किन्तु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं रहती है तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जावेगी। इस आशय का शपथ-पत्र आवेदन करते समय ही देना होगा। विभाग द्वारा भविष्य में स्थानीय निवासी नहीं रहने पर जांचोपरांत मानदेय सेवा से हटा दिया जायेगा।
- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 18-35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आंगनबाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उस पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन कीमीलेयर के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के शपथ पत्र के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के प्रावधान लागू होंगे।
- राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
- आवेदन पत्र के साथ 1. अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंक तालिका/प्रमाण-पत्र 2. सैकेण्डरी की अंक तालिका/प्रमाण-पत्र 3. बीएड/एनटीटी/डीपीएसई/बीएसटीसी/डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागू हो तो) 4. मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण-पत्र 5. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो) 6. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो) 7. एएनएम/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो) 8. RSCIT/PGDCA/O-Level/Tally के प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो) 9. विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जावे।
- जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रों के मानदेय कर्मियों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतः आंगनबाड़ी केन्द्र के सर्वे रजिस्टर के आधार पर की जाएगी।
- आवेदन फॉर्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियों में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः/रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा सम्बन्धित परियोजना कार्यालय की ई-मेल आई.डी. पर दिनांक 29.09.2025 को सांय 06.00 बजे तक जमा करा सकेंगे। अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- मानदेय कर्मियों के रिक्त पदों पर चयन विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 01.03.2024 तथा निदेशालय के चयन परिपत्र संशोधित आदेश (मूल्यांकन प्रपत्र-ब) दिनांक 01.10.2024 के अनुसार सम्पन्न की जावेगी।
- आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा कराए जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किए जाने से वंचित दस्तावेज को प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाए जाने की अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा। परन्तु अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जाएगा।
- सभी आवेदक आवेदन पत्र (समस्त दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या अंकित करवाकर) की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।

नोट :- इच्छुक महिला अभ्यर्थी आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों की जानकारी, पात्रता एवं अन्य शर्तों सहित विस्तृत विवरण उप निदेशक कार्यालय, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय एवं विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।


(महेश चन्द गुप्ता)

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर

दिनांक :- 29.08.2025

क्रमांक :- उनिमबावि/अल/संस्था/2025/ 4115-4123

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
4. श्रीमान् आयुक्त, नगर निगम, अलवर/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त जिला अलवर।
5. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी समस्त, जिला अलवर।
6. श्रीमान् उप निदेशक (एसीपी) समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला अलवर।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त जिला अलवर को भेजकर लेख है कि मानदेय कर्मियों के रिक्त पदों पर चयन विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 01.03.2024 तथा निदेशालय के चयन परिपत्र संशोधित आदेश (मूल्यांकन प्रपत्र-ब) दिनांक 01.10.2024 के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।
9. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।


(महेश चन्द गुप्ता)

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर